

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

विशेष दण्डिक वाद संख्या 635/2025

सरकार-----बनाम-----राजू निषाद।

थाना जरवलरोड, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा-II, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्त **राजू निषाद** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 20.12.2024 को समय करीब 09 बजे रात्रि, बहद स्थान वादिनी का घर ग्राम पारा, थाना जरवलरोड, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा ममता की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आपने बी०एन०एस० की धारा 74 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने बी०एन०एस० की धारा 333 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को भट्टी-भट्टी गालियाँ देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने बी०एन०एस० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर मैं आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को जान से मार देने की धमकी देकर आपराधिक कार्य किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो बी०एन०एस० की धारा 351(3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की है, के विरुद्ध अपराध किया। इस प्रकार आपका कृत्य धारा 3(1) (घ), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा-II)

दिनांक 08.09.2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा-II)

दिनांक 08.09.2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

विशेष दण्डिक वाद संख्या 635/2025

सरकार-----बनाम-----राजू निषाद।

थाना जरवलरोड, बहराइच।

08.09.2026

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त **राजू निषाद** उपस्थित। अभियुक्त को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्त **राजू निषाद** के विरुद्ध बी०एन०एस० की धारा 74, 333, 352, 351(3) एवं धारा 3(1)(ध), 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 06-11-2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।